बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, बेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक : नि॰ प्रा॰/ नि॰ 1-02/2018 130 /पटना, दिनांक 07/02/2018

प्रेषक,

फूल सिंह,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰), पटना।
अनुमंडल पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी,
(बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, अशोक राजपथ, पटना), पटना सदर/

जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना।

विषय : बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, अशोक राजपथ, पटना के निदेशक मंडल के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में।

महाशय,

बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, पटना का निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-108 दिनांक 29.01.2018 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर को निर्वाचन पदाधिकारी घोषित किया गया है। सुलभ प्रसंग हेतु उसकी एक प्रति संलग्न है **(अनुलग्नक-1)**। अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर उक्त समिति के निर्वाचन हेतु अपने अधीन कार्यरत प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/ उप समाहर्त्ता को उप निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

2. मतदाता सूची के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.01.2018 होगी।

3. बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, पटना (आगे इसे समिति के नाम से जाना जायेगा) के प्रशासक, अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर को दिनांक 15.02.2018 तक विहित **प्रपत्र-1A (अनुलग्नक-2)** में मतदाता सूची उपलब्ध करायेंगे। मतदाता सूची उपलब्ध कराने के पूर्व प्रशासक अभिलेख पर आधारित सूची को सत्यापित करेंगे और प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित कर इसकी तीन प्रतियाँ दिनांक 15.02.2018 तक निश्चित रूप से अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर को उपलब्ध करा देंगे। मतदाता सूची तैयार करते समय प्रशासक यह सुनिश्चित करेंगे कि कट-ऑफ-तिथि को सभी अयोग्यताओं जैसे-ऋण, उपविधियां के नियम-5 सह पठित 2 (d) में विनिर्दिष्ट पूरा शेयर मूल्य कट-ऑफ-तिथि को अदा नहीं किया है, आदि से संबंधित स्तंभ में अंकित करने के बाद ही मतदाता सूची समर्पित किया जायेगा। इसकी एक अतिरिक्त प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना को दी जायेगी। यह सुनिश्चित करना संबंधित समिति के प्रशासक की जिम्मेवारी होगी कि मतदाता सूची में किसी सदस्य के संबंध में संगत स्तंभों में की गई प्रविष्टि एवं सभी सूचनायें सही हैं।

4. मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-

क्र०	कार्यक्रम	अवधि
i	प्रशासक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, अशोक राजपथ, पटना द्वारा प्रपत्र-1 में सदस्यता सूची अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर -सह- निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने की तिथि	15.02.2018
ii	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थानों पर प्रकाशन	17.02.2018
iii	आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित है	17.02.2018
iv	आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि	27.02.2018 तक
v	आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	01.03.2018

5. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना प्रपत्र-**2A** (**अनुलग्नक-3**) में निर्गत की जायेगी। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निम्न स्थलों पर किया जायेगा :-

(i) निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ii) संबंधित समिति के कार्यालय के सूचना पट पर।

(iii) जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना के कार्यालय के सूचना पट पर।

6. निर्वाचन पदाधिकारी उक्त समिति का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना दिनांक **20**.02.2018 तक प्राधिकार को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

7. प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में कोई आपत्ति अथवा प्रारूप मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम अंकित किये जाने से संबंधित कोई दावा संलग्न **प्रपत्र-3A** (**अनुलग्नक-4A**) अथवा **प्रपत्र-4A** (**अनुलग्नक-5**) में विहित समय सीमा के अन्तर्गत ही दिया जा सकेगा। आपत्ति उन्हीं व्यक्तियों द्वारा दी जायेगी जिनका नाम संबंधित समिति की सदस्यता सूची में सम्मिलित है। सदस्यता सूची से बाहर किसी व्यक्ति द्वारा दी गई आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सिरे से खारिज कर दी जायेगी। उक्त प्रपत्रों को प्राधिकार के बेवसाईट **www.bsea.bih.nic.in** से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

8. प्रारूप मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मानवीय भूलवश किसी समिति के नाम एवं पते में कोई भूल या त्रुटि परिलक्षित होने पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक सुधार करने हेतु सक्षम होंगे।

9. प्रारूप मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में आवेदन पत्र विहित प्रपत्रों में प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उप निर्वाचन पदाधिकारी) द्वारा उसकी सरसरी तौर पर पड़ताल कराई जाएगी तथा आवश्यकता महसूस होने पर संक्षिप्त सुनवाई कर आपत्ति की स्वीकृति/ अस्वीकृति के संबंध में आपत्ति-पत्र पर ही सम्यक आदेश पारित किया जाएगा।

10. आपत्ति पत्र पर पारित सम्यक् आदेश के आलोक में तदनुसार मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन अनुपूरक मतदाता सूची के माध्यम से कर लिया जाएगा। मतदाता सूची से नाम विलोपित किये जाने के मामले में आपत्तिकर्त्ता का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं रहने की स्थिति में आपत्ति पत्र स्वीकार योग्य नहीं होगा। इसी तरह मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के मामले में आवेदन पत्र के साथ सदस्यता शुल्क रसीद/ शेयर प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न होनी चाहिए एवं जाँच के समय मूल प्रतियों की मांग आवश्यक रूप से की जाय। साथ-ही-साथ, आवश्यकता महसूस होने पर इन मामलों से संबंधित समिति के अध्यक्ष से भी प्रतिवेदन/ अभिलेख की मांग की जाय। **यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रशासक, बिहार राज्य सहकारी बैंक निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मांगी गई सूचनायें अभिलेखों के आधार पर समय-सीमा के अंदर उपलब्ध कराने हेतु कर्त्तव्यबद्ध (dutybound) हैं। इस उद्देश्य हेतु प्रशासक भी अपने स्तर से एक नोडल पदाधिकारी को प्राधिकृत कर सकते हैं।**

11. कुछ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों/ समितियों में डेलीगेट/ अध्यक्ष का नाम मतदाता सूची में इस कारण से सम्मिलित करना संभव नहीं हो सकता है कि मतदाता सूची तैयार करने के दिन वैसी समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। वैसे मामलों में नामांकन की तिथि के एक दिन पूर्व तक मतदाता सूची में अध्यक्ष के नाम जोड़े जा सकेंगे। इस संदर्भ में व्यापार मंडल के मामले में निर्गत अनुदेश का उद्धरण प्राधिकार के पत्रांक-688 दिनांक 04.08.2017 (**अनुलग्नक-7**) के रूप में संलग्न है।

12. प्रारूप मतदाता सूची में जो भी परिवर्तन किए जायेंगे, उन्हें **प्रपत्र-5A (अनुलग्नक-6)** में दिए गए नमूने के अनुसार एक अनुपूरक सूची के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि प्रारूप मतदाता सूची से कौन सी प्रविष्टि हटायी गयी है, कौन सी प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन किया गया है, तथा कौन-सी नई प्रविष्टि जोड़ी गई है। **प्रारूप मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची के सम्मिलित रूप को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची माना जाएगा।** मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का प्ररूप प्रपत्र-**6A (अनुलग्नक-8)** पर देखा जा सकता है।

13. संबंधित समिति की अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उसे तैयार करने वाले कर्मी तथा निर्वाचन पदाधिकारी/ प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों द्वारा अंतिम प्रकाशन के दिन हस्ताक्षर किया जाएगा जो इस बात के प्रमाणस्वरूप होगा कि मतदाता सूची सही है एवं इसमें कोई छेड़-छाड़ नहीं की गई है। सचेत किया जाता है कि प्रारूप मतदाता सूची अथवा पूरक मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में ओवरराइटिंग नहीं हो; किसी भी तरह के सुधार को स्पष्ट अक्षरों में उसके बगल में अंकित कर दिया जाय तथा उसके शीर्ष में सुधार करने वाले पदाधिकारी द्वारा अपना आद्याक्षर (initial) अवश्य कर दिया जाय।

14. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के समय अनुमंडल पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी, पटना सदर समिति द्वारा प्रपत्र-1A में टंकित या कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध कराये गये मतदाता सूची की तीन प्रतियों में से दो का उपयोग करें एवं एक प्रति का उपयोग मूल अभिलेख (कार्यालय प्रति) के रूप में सुरक्षित रखें।

15. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय अंतिम मतदाता सूची की नौ प्रतियाँ तैयार की जायेंगी। इसकी चार प्रतियों का उपयोग निर्वाचन के समय किया जाएगा तथा शेष बची पाँच प्रतियों में से एक प्रति अनुमंडल मुख्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए; एक प्रति समिति के कार्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए, एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ, एक प्रति प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक, पटना एवं एक प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना के यहाँ अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखी जायेंगी। **जो सदस्य मतदाता सूची की फोटो प्रति प्राप्त करना चाहें, उन्हें ₹1.50 प्रति पृष्ट की लागत दर पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फोटो प्रति उपलब्ध करायी जाएगी।**

16. निर्वाचन पदाधिकारी अपने कर्त्तव्यों के सम्पादन हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना को आवश्यकतानुसार अपने साथ संबद्ध कर सकते हैं, जो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सौंपे गये दायित्वों का वहन करेंगे एवं उन्हें हर आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

अनुलग्नक :

1. प्राधिकार की अधिसूचना सं०–108 दिनांक 29.01.2018.
2. मतदाता सूची का प्रपत्र – प्रपत्र–1A
3. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना – प्रपत्र–2A
4. मतदाता सूची से नाम हटाने तथा जोड़ने के संबंध में आपत्ति/ दावा दर्ज़ करने का प्रपत्र – प्रपत्र–3A
5. मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति दर्ज करने का प्रपत्र – प्रपत्र–4A
6. अंतिम प्रकाशन के लिए अनुपूरक मतदाता सूची का नमूना– प्रपत्र–5A
7. डेलीगेट का नाम जोड़ने के संबंध में प्राधिकार के पत्रांक–688 दिनांक 04.08.2017 का उद्धरण
8. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना का प्रारूप– प्रपत्र–6A

विश्वासभाजन,

(फूल सिंह)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 130 पटना/ दिनांक 07/02/2018

प्रतिलिपि–प्रशासक/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, अशोक राजपथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 130 /पटना, दिनांक 07/02/2018

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/ वरीय पुलिस अधिक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 130 /पटना, दिनांक 07/02/2018

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ उप सचिव/ श्री कुमार शांत रक्षित, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.2.18

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

अनुलग्नक-I

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अनुलग्नक-1

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं॰ : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पटना/ दिनांक 29/01/2018

अधिसूचना

संख्या-नि॰प्रा॰/ नि॰ 1-02/ 2018 108.....बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम, 2011 के धारा-14 (क) (1) के प्रावधानों के आलोक में सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के अधीन निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन संचालन का दायित्व बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सौंपा गया है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 की धारा 5 (2) एवं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली 2008 के नियम 6 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, पटना-4 के निर्वाचन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर को निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. अनुमंडल पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी उक्त बैंक के निर्वाचन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/ उप समाहर्त्ता को उप निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

4. अनुमंडल पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सहयोग समितियाँ), पटना के निर्देशन एवं नियंत्रण में उक्त बैंक का चुनाव संबंधी कार्य करेंगे।

5. उक्त सभी पदनामित पदाधिकारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 4 के अंतर्गत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में निर्वाचन का संचालन करेंगे।

(फूल सिंह)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 108 पटना/ दिनांक 29/01/2018

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 108 पटना/ दिनांक 29/01/2018

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰), पटना/ अनुमंडल पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी, पटना सदर/ प्रशासक/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, अशोक राजपथ, पटना-4 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 108 पटना/ दिनांक 29/01/2018

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

Noti_SDO. Patna Sadar for CoP-Bank_2018

Prep. of V.List Bihar State Co-op. Bank 2018_Other Societies

बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, अशोक राजपथ, पटना का निर्वाचन

अनुलग्नक-2

प्रपत्र- 1A

बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के लिए मतदाता सूची

क्रमांक	सदस्य सोसाईटी का नाम एवं पता	डेलीगेट/ प्रतिनिधि* का नाम एवं पदनाम	अयोग्यता, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

* स्तंभ-3 में पदनाम के जगर पर 'समिति के अध्यक्ष' शब्द अंकित किया जायेगा। अगर डेलीगेट का नाम निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहने के कारण नहीं जानते हैं तो प्रविष्टि खाली छोड़ा जा सकता है।

बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, अशोक राजपथ, पटना का निर्वाचन

अनुलग्नक-3

प्रपत्र- 2A

मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना का प्रारूप

सेवा में,

बिहार राज्य सहकारी बैंक ....
पंजीयन संख्या...
के सदस्यगण।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 एवं बिहार राज्य सहाकारिता (संशोधन) नियमावली, 2008 के सुसंगत प्रावधानों तथा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों के अनुसार बिहार राज्य सहकारी बैंक के निर्वाचन के निमित्त मतदाता सूची तैयार हो गयी है और उसकी एक प्रति कार्यालय के समय के दौरान मेरे कार्यालय में और उपर्युक्त बिहार राज्य सहकारी बैंक के कार्यालय तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी.......... .... के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। प्रारूप मतदाता सूची दिनांक .... से .... तक विहित स्थलों पर प्रकाशित रहेगी।

निर्वाचक नामावली के तैयार किये जाने की कट-ऑफ-तिथि 31.01.2018 है।

यदि उपरोक्त कट-ऑफ-तिथि के संदर्भ में नामावली में किसी नाम को सम्मिलित किया जाने के लिए कोई दावा या किसी नाम के सम्मिलित किये जाने के लिए कोई आक्षेप किया जाता है या किसी प्रविष्टि की विशिष्टियों की बाबत कोई आक्षेप हो तो वह दिनांक .... से .... (कार्यालय अवधि) के बीच निर्धारित प्रपत्रों में दाखिल किया जाय।

हर ऐसा दावा आक्षेप या तो मेरे कार्यालय में या .... (पदनाम) के समक्ष पेश किया जाय या नीचे दिये गये पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाय कि वह मुझे उपरोक्त तारीख तक मिल जाय। आपत्ति दाखिल करने के लिए निर्धारित प्रपत्रों (**प्रपत्र-3A एवं प्रपत्र-4A**) का नमूना मेरे कार्यालय में उपलब्ध है।

प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक .... को किया जायेगा।

दिनांक

निर्वाचन पदाधिकारी
पता ....

ज्ञापांक: ....

दिनांक ....

प्रतिलिपि: प्रशासक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे संलग्न मतदाता सूची (प्रपत्र-1) को बिहार राज्य सहकारी बैंक के सूचना पट पर इस मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना के साथ प्रकाशित करें।

2. कृपया मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना अपने स्तर से उपरोक्त बिहार राज्य सहकारी बैंक के सभी सदस्यों को दे दें।

निर्वाचन पदाधिकारी
पता ....

बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, अशोक राजपथ, पटना का निर्वाचन

अनुलग्नक-4

प्रपत्र-3A

(मतदाता सूची से नाम हटाने अथवा जोड़ने के संबंध मे आपत्ति दर्ज करने का प्रपत्र [शीर्ष समिति के लिए])

सेवा में,

निर्वाचन पदाधिकारी,

....लिमिटेड ।

महोदय,

मैं ....(नाम), अध्यक्ष/ सचिव, समिति का नाम ....उपर्युक्त शीर्ष सहकारी समिति के निर्वाचन के लिए प्रकाशित की गई प्रारूप मतदाता सूची के क्रमांक...............पर ....(नाम), ...(समिति का नाम) का नाम सम्मिलित किये जाने पर निम्न कारण (कारणों) से आपत्ति दर्ज करता/करती हूँ :

(i) ....

(ii) ....

अथवा

मैं ....(नाम)पिता/पति का नाम ....पता ....(समिति का नाम) .... आवेदन दर्ज करता हूँ कि मेरा नाम उपरोक्त समिति की मतदाता सूची में निम्नलिखित कारणों एवं साक्ष्य के आधार पर जोड़ दिया जाय।

कारण ....(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ठ का भी उपयोग किया जा सकता है।)

निम्नलिखित साक्ष्य इसके साथ संलग्न है।

(i) सदस्यता शुल्क का प्रमाण-पत्र*

(ii) शेयर प्रमाण-पत्र की प्रति*

(iii) समिति के संबद्धता संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रति*

(iv) ---

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि परिवर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। उक्त समिति के लिए प्रकाशित मतदाता सूची में मेरा नाम निम्नलिखित रूप से सम्मिलित है -

पूरा नाम.......................................; पिता का नाम ....; समिति का नाम .... मतदाता सूची का क्रमांक**..........................

स्थान :

तारीख : आपत्तिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

*व्यक्तिगत सदस्य को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन में इनमें से एक अभिलेख संलग्न करना आवश्यक होगा।

** मतदाता सूची से नाम विलोपित किए जाने के लिए आवश्यक।

की गई कार्रवाई की सूचना

1. ....(नाम), समिति का नाम ....पता.................................. द्वारा दी गई आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया है और .... लिमिटेड की मतदाता सूची के क्रमांक..............पर उल्लिखित श्री/श्रीमती/कुमारी..... .... का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है/ क्रमांक...........पर उनका नाम जोड़ दिया गया है।
2. निम्नलिखित कारणों से नामंजूर कर दिया गया है-

....

स्थान : निर्वाचन पदाधिकारी,

तारीख : .... लिमिटेड

आवेदन की रसीद

..................................(नाम), समिति का नाम................................... पता... जो .... लिमिटेड के सदस्य हैं, से आपत्ति विहित प्रपत्र में दिनांक ....को प्राप्त हुई है। आवेदन की रसीद का क्रमांक .... है।

स्थान : आपत्ति प्राप्त करने वाले

तारीख : पदाधिकारी का हस्ताक्षर

<u>बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, अशोक राजपथ, पटना का निर्वाचन</u>

<u>अनुलग्नक-5</u>

प्रपत्र-4A

(मतदाता सूची से किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति दर्ज करने का प्रपत्र [शीर्ष समिति के लिए])

सेवा में,

निर्वाचन पदाधिकारी, ... लिमिटेड।

महोदय,

मैं ...., समिति का नाम ....निवेदन करता/करती हूँ कि मुझसे सम्बद्ध प्रविष्टि जो .... लिमिटेड के प्रारूप मतदाता सूची में क्रम संख्या .... पर ....के रूप में दी गई है, शुद्ध नहीं है। उसे कृपया निम्नलिखित रूप में शुद्ध कर दिया जाय।

....

स्थान :

तारीख :

आपत्तिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

की गई कार्रवाई की सूचना

श्री/श्रीमती/कुमारी............................, जो ....का/की निवासी हैं, द्वारा दी गई आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया है तथा संबंधित प्रविष्टि को निम्न रूप में सुधार दिया गया है :

....

स्थान :

तारीख :

निर्वाचन पदाधिकारी,
.... लिमिटेड

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी............................पता.. जो .... लिमिटेड के सदस्य हैं, से आपत्ति विहित प्रपत्र में दिनांक ....को प्राप्त हुई है। आवेदन की रसीद का क्रमांक .... है।

स्थान :

तारीख :

आपत्ति प्राप्त करने वाले
पदाधिकारी का हस्ताक्षर

बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, अशोक राजपथ, पटना का निर्वाचन

अनुलग्नक-6

प्रपत्र-5A

(अंतिम प्रकाशन के लिए अनुपूरक मतदाता सूची का नमूना)

1. प्रविष्टि जो हटाई गई

मतदाता की क्रम संख्या	समिति/ डी.सी.सी.बी. का नाम

2. वर्तमान प्रविष्टि की शुद्धि

मतदाता की क्रम संख्या	वर्तमान प्रविष्टि		शुद्ध की गई प्रविष्टि		
	समिति/ डी.सी.सी.बी. का नाम	पता	समिति का नाम	डेलीगेट का नाम	पता

3. प्रविष्टि जो जोड़ी गई

सदस्य का नाम	पता	अयोग्यता यदि कोई हो	मतदाता सूची में दिया गया क्रमांक

<u>अनुलग्नक-7</u>

व्यापार मंडल के मामले में प्राधिकार के पत्रांक-688 दिनांक 04.08.2017 को निर्गत अनुदेश का उद्धरण

अगर किन्हीं प्राथमिक सहयोग समिति के अध्यक्ष के नाम के स्थान पर सिर्फ अध्यक्ष पदनाम उल्लिखित किया गया है, तो **संबंधित समिति के अध्यक्ष को सादे कागज में निर्वाचन पदाधिकारी को आवेदन देकर उक्त सूची में अपना नाम जोड़ देने का अनुरोध करना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ स्वयं अभिप्रमाणित (self attested) फोटोयुक्त निर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। ऐसा आवेदन नामांकन शुरू होने के एक दिन पूर्व तक ही दिया जा सकेगा।**

<u>बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, अशोक राजपथ, पटना का निर्वाचन</u>

<u>**अनुलग्नक-8**</u>

प्रपत्र-6

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना का प्रारूप

सेवा में,

.... लिमिटेड के सदस्यगण।

.... लिमिटेड के सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि उक्त समिति के निर्वाचन सूची के प्रारूप में किये गये संशोधनों की सूची कट-ऑफ-तिथि दिनांक 31.01.2018 को आधार मानकर तैयार की गई है और उक्त नामावली की एक प्रति संशोधनों की उक्त सूची सहित प्रकाशित कर दी गई है और मेरे कार्यालय में तथा संबंधित समिति के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

2. संलग्न मतदाता सूची की एक प्रति संबंधित समिति को प्रेषित की जा रही है।

दिनांक — निर्वाचन पदाधिकारी

स्थान : — पता ....

ज्ञापांक: .... — दिनांक ....

प्रतिलिपि: प्रशासक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, अशोक राजपथ, पटना का निर्वाचन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उन्हें निदेशित किया जाता है कि समिति के सभी सदस्यों को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना दें।

दिनांक — निर्वाचन पदाधिकारी

स्थान : — पता ....

(हस्ताक्षर एवं सील)